भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1953

(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

1953. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत स्वीकृत कुल आवासों की संख्या कितनी है तथा उनमें से अब तक कितने आवास पूर्ण हो चुके हैं;

(ख) वर्ष 2020-21 से 2023-24 के बीच दौसा जिले में (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को आवास प्रदान किए गए तथा कितने लाभार्थी अभी भी प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दौसा जिले में कई पात्र गरीब परिवारों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और यदि हां , तो क्या सरकार का इस योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए कोई विशेष अभियान चलाने का विचार है; और

(घ) दौसा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के कुल कितने लाभार्थी हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है , जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए पीएमएवाई-जी को जारी रखने के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है। दिनांक 06.03.2025 तक, राजस्थान राज्य को आवंटित 22,23,369 आवासों के कुल लक्ष्य में से 21,97,400 आवासों को स्वीकृति दी गई है और 17,03,447 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

(ख) पीएमएवाई-जी के तहत, 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान, राज्य द्वारा दौसा जिले में पात्र लाभार्थियों को कुल 1,407 मकान स्वीकृत किए गए हैं। एसईसीसी डेटाबेस के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची , जिले में कुल 10,022 लाभार्थियों के साथ ही संतृप्त हो गई है , जबकि 6 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार अंतिम आवास + 2018 सूची में 111 लाभार्थी (यानी 4400 शेष पात्र में से 4289 आवंटित लक्ष्य घटाकर) उपलब्ध हैं।

(ग) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 और वर्षों के लिए योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है। इसके अलावा , केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना के तहत संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करके अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए आवास+ 2018 सूची को अद्यतन करने का भी अनुमोदन दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुरूप , आवास+ 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से योजना के तहत अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है , जिसकी दिनांक 17.09.2024 को पहले शुरुआत हो चुकी है। समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए इस ऐप में पूर्व-पंजीकृत सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से स्व-सर्वेक्षण और सहायता प्राप्त सर्वेक्षण दोनों का प्रावधान है।

(घ) इस योजना की शुरुआत यानी वित्तीय वर्ष 2016-17 से दौसा जिले में पीएमएवाई-जी के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य के लिए स्वीकृत मकानों की संख्या नीचे दी गई है:

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य
4,170	4,518	5,587

******